महत्वपूर्ण

पत्र सं0-9/2025/बी-1- 672/दस-2025

प्रेषक,

मिनिस्ती एस.,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2025**

विषयः SNA-SPARSH प्रणाली के क्रियान्वयन के फलस्वरूप देयकों के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 8/2025/बी-1-640/दस-2025 दिनांक 10 जुलाई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. SNA-SAPARSH प्रणाली के अंतर्गत, साईबर ट्रेजरी में बिल प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया में समेकित धनराशि जिसका आहरण किया जा रहा है हेतु स्वीकृति आदेश SNA द्वारा निर्गत किये जाने की व्यवस्था उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में की गई है।

3. शासन के संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय केन्द्र प्रायोजित योजनायें ऐसी है जिनके SNA शासन में तैनात सचिव हैं। ऐसे मामलों में, बिल प्रस्तुतीकरण हेतु प्रत्येक बिल के लिये SNA द्वारा भुगतान स्वीकृति आदेश निर्गत करने तथा प्रत्येक बिल को प्रतिहस्ताक्षर करने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ स्वाभाविक हैं। अतः, इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2025 के प्रस्तर-4 को निम्नवत संशोधित करने का निर्णय लिया गया है-

"4. केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु SNA विभिन्न इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी से प्राप्त बिलों तथा उनके साथ संलग्न भुगतान स्वीकृति आदेश के आधार पर समेकित धनराशि जिसका आहरण किया जा रहा है, हेतु स्वीकृति आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे, जो कि SNA-SPARSH पर अपलोड होगा तथा अग्रिम आदेशों तक उसकी हार्ड कॉपी हस्ताक्षर सहित साईबर ट्रेज़री में बिल पारण हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

परन्तु, ऐसी योजनायें जिनमें SNA का कार्य शासन के संबंधित विभाग में तैनात सचिव/ प्रमुख सचिव द्वारा किया जा रहा है, से संबंधित बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने तथा समेकित धनराशि के भुगतान के स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर करने हेतु SNA द्वारा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित किसी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत किया जा सकता है, जिसके लिये SNA द्वारा एक सुस्पष्ट आदेश निर्गत किया जायेगा जिसका पृष्ठांकन महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के प्रोग्राम डिवीजन को किया जायेगा। भुगतान स्वीकृति आदेश SNA के अनुमोदन के उपरांत उपरोक्तानुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।"

4- शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2025 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीया

मिनिस्ती एस.
सचिव, वित्त।

पत्र सं0-9/2025/बी-1- 672/दस-2025, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
3. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, वित्त विभाग, उ०प्र०, शासन।
6. समस्त अनुभाग, उ०प्र०, शासन।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।